



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 25.08.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना एट पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए 20 माह के सश्रम कारावास एवं 4,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त धरम सिंह पुत्र करन सिंह निवासी हरी सिंह की मडैया थाना दिबियापुर जनपद औरैया के विरुद्ध थाना एट पर मु०अ०सं० 192/16 धारा 403/411/413/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना एट पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय (एडीजे-प्रथम कोर्ट उर्ई) जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त धरम सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुए **20 माह के सश्रम कारावास एवं 4,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।**



श्री हृदेश पाण्डेय
ADGC



प्र०नि० मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे०का० महेन्द्र प्रताप सिंह
कोर्ट मुहर्रिर



का० कृष्ण कान्त कटारा
कोर्ट पैरोकार

jalaunpolice

